सत्यमेव जयते
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. Tour/Programme/VC/10/2017/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: 18.08.2017

To,

1. The Chief Secretary,
   Government of Madhya Pradesh,
   Bhopal (Madhya Pradesh

2. Collector,
   District- Betul,
   (Madhya Pradesh)

3. Collector,
   District-Bhopal,
   (Madhya Pradesh)

Sub: Tour Report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) to visit Districts-Betul, Bhopal, Madhya Pradesh State on 12.06.2017.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of tour report of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST to visit Districts- Betul, Bhopal, Madhya Pradesh State on 12.06.2017 for information and necessary action.

5760-63
28/8/2017

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. The Assistant Director, National Commission for Scheduled Tribes, Regional Office Bhopal, Room No.309, Nirman Sadan, CGO Building, 52-A, Area Hills, Bhopal-462011(Madhya Pradesh)

2. NIC, NCST uploaded on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

फाइल नं- ST/20/2016/STGMP/DELAAL/RO-BH

आवासीय भूखंड का आवंटन न करके षिव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी किये जाने संबंधी प्रकरण पर सुश्री अनुसूइया उइके, माननीया उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ली गई बैठक का कार्यवाही विवरण।

बैठक की तिथि एवं समयः दिनांक 12–06–2017 को दोपहर 12:00 बजे

बैठक में उपस्थितः सूची संलग्न

आवासीय भूखंड का आवंटन न करके शिव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में की गई श्री श्यामू टेकाम, 5/2, झरनेश्वर कॉम्पलेक्स, नॉर्थ टी.टी. नगर, भोपाल–462003 (म.प्र.) की शिकायत पर सुश्री अनुसूईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष ने बैठक ली।

1. बैठक शुरू करते हुये माननीया उपाध्यक्ष ने आवेदक से उनकी शिकायत के संबंध में जानकारी चाही। आवेदक ने बताया कि उनके पिताजी श्री रंगराव टेकाम ने शिव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल की सदस्यता वर्ष 1977 में प्राप्त की थी। उन्होंने सदस्यता शुल्क भी जमा किया था। कई वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें संस्था द्वारा आवासीय भूखंड आवंटित नहीं किया गया। वे लगातार इस संबंध में संस्था और अन्य संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके आवासीय भूखंड आवंटन का अनुरोध करते रहे किंतु सफल नहीं हुए जबकि संस्था ने उनसे भी कनिष्ठ सदस्यों को आवास आवंटित कर दिया। उनके पिता जी के जीवन काल में ही उन्होंने उनकी सहमति से उनके नाम संस्था की सदस्यता अपने पुत्र (आवेदक) के नाम हस्तांतरित करने का अनुरोध किया जिससे सहमत होकर संस्था ने उनसे दिनांक 25–07–2007 को रुपये 460/– जमा कराये। बार–बार संपर्क करने के बाद भी संस्था ने उन्हें कभी भी आवासीय भूखंड आवंटित नहीं किया और बाद में बने सदस्यों को भूखंड दे दिया।

   श्री श्यामू टेकाम ने यह भी कहा कि विगत कई वर्षों से वे यह प्रयास कर रहे हैं कि संस्था उन्हें आवासीय भूखंड आवंटित करे किंतु संस्था की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने समय–समय पर इस संबंध में आयुक्त, सहकारिता विभाग, म.प्र. शासन, जिला कलेक्टर, भोपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, सचिव, म.प्र. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग आदि अधिकारियों से पत्राचार किया किंतु कोई प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में जिला कलेक्टर एवं आयुक्त, भोपाल संभाग को भेजी गई शिकायत के क्रम में, उपायुक्त, सहकारिता, जिला भोपाल द्वारा जाँच कराई गई थी जिसमें उन्हें अवगत करवाया गया था कि उक्त संस्था हेतु म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, ए1960 की धारा 53(13) के अंतर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसे भूखंड आवंटन का अधिकार नहीं है। यह भी कहा गया कि संस्था के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन के बाद ही इस मामले में कार्रवाई हो सकती है। वर्तमान में संस्था में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी निर्वाचित किये जा चुके हैं किंतु अभी तक उन्हें भूखंड आवंटित करने के मामले में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। सहकारिता विभाग द्वारा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson

कराई गई जांच में भी संस्था के काम–काज में अनियमितताएं पाई गईं थीं। **संस्था ने न तो उनके पिता जी को, जो वर्ष 1977 से दिनांक 24–07–2007 तक (30 वर्ष) सदस्य थे, को भूखण्ड आवंटित किया गया और न ही उन्हें, जिन्हें पिता के स्थान पर 25–07–2007 से सदस्य बनाया गया था।** संस्था ने उनसे कभी कोई धनराशि जमा कराने की सूचना भी नहीं दी थी। संस्था द्वारा उनके साथ धोखधड़ी की गई है जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर अत्याचार है। संस्था के माध्यम से उन्हें शीघ्र भूखण्ड का आवंटन कराया जाये जिसके लिए वे आवश्यक भुगतान करने को सदा से तैयार रहे हैं।

2. माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने इस विषय पर श्री एम.एल. त्यागी, संयुक्त आयुक्त (वि), आयुक्त कार्यालय, भोपाल से जानकारी चाही जो आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल की ओर से बैठक में सम्मिलित होने के लिए नामित किये गये थे। उन्होंने आयुक्त, भोपाल संभाग के पत्र क्र. 4873/पीए–आयुक्त/2017 दिनांक 07–06–2017 के माध्यम से प्रेषित संयुक्त पंजीयक, सहकारिता, भोपाल संभाग, भोपाल की रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार ही निम्नलिखित जानकारी दी:
    1. शिकायतकर्ता श्री श्यामू टेकाम के पिता श्री रंगराव मध्य प्रदेश शासन के तहत शासकीय मुद्रणालय में सेवारत थे। शासकीय सेवा में रहते हुए उन्हें बैरक क्र. 33 कमरा नंबर 4 आवास हेतु आवंटित किया गया था।
    2. स्वयं शिकायतकर्ता के कथन अनुसार उन्हें शासकीय आवास आवंटित होने पर उनके द्वारा वर्ष 1982 में वह स्थान रिक्त कर दिया गया था।
    3. शिकायतकर्ता के स्वयं के कथन अनुसार वर्ष 2007 में उनके पिताजी की सहमति से संस्था की सदस्यता श्री श्यामू टेकाम को दी गयी।
    4. संयुक्त पंजीयक, सहकारिता के प्रतिवेदन अनुसार मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अनुसार व्यक्ति के जीवित रहते हुए सदस्यता का हस्तांतरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम की धारा–26 के अनुसार सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसान अथवा नाम निर्देशनों को अवशय किया जा सकता है लेकिन यह स्थिति इस प्रकरण में नहीं है।
    5. संयुक्त पंजीयक के प्रतिवेदन के अनुसार शिकायतकर्ता ने वर्ष 2007 में सदस्यता ग्रहण की है। चूंकि सदस्यता उनके पिता के जीवित रहते ग्रहण की गयी है, इसलिए यह सदस्यता का हस्तांतरण नहीं है और श्री श्यामू टेकाम की संस्था में वरिष्ठता वर्ष 2007 से ही गणना में की जा सकती है।
    6. संयुक्त पंजीयक के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2007 के पश्चात् संस्था ने किसी भूखण्ड का आवंटन किसी को भी नहीं किया है।
    7. तत्कालीन उपायुक्त, सहकारिता श्री के.के. द्विवेदी के पत्र दिनांक 24–06–2011 में उनके द्वारा संस्था के संबंध में अनियमितताओं को स्वीकार दिया जाना वर्णित किया गया है। किंतु इस पत्र में श्री टेकाम के संबंध में भूखण्ड/बैरक की पात्रता का निर्धारण नहीं किया गया है और न ही मध्य प्रदेश सहाकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के तहत प्रशासकीय आदेश से भूखण्ड की पात्रता का निर्धारण करते हुए आवंटन का आदेश देने के रजिस्ट्रार को अधिकार हैं।
    8. तत्कालीन उपायुक्त, सहकारिता के पत्र दिनांक 08–07–2017 में शिकायतकर्ता को यह अवगत कराया गया था कि संस्था में प्रभारी अधिकारी नियुक्त है। संचालक मण्डल कार्यरत न हाने के कारण प्रभारी अधिकारी को भूखण्ड आवंटन का अधिकार नहीं है। इस पत्र में तत्कालीन उपायुक्त ने निर्वाचन की प्रगति की जानकारी देते हुए आवेदक को नवीन संचालक मण्डल द्वारा भूखण्ड का आवंटन किया जा सकेगा, यह व्यक्त किया है। इस पत्र में भी श्री श्यामू टेकाम को भूखण्ड की पात्रता निर्धारित नहीं

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

की गयी है, बल्कि संचालक मण्डल को ही भूखण्ड के आवंटन होने के अधिकार का तथ्य वर्णित किया गया है।

संयुक्त पंजीयक के संलग्न प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि श्री श्यामू टेकाम की इस संस्था में सदस्यता वर्ष 2007 से ही मान्य होगी। उसके पश्चात संस्था द्वारा कोई भी भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है। उपायुक्त सहकारिता के पूर्व पत्र दिनांक 24–06–2011 और 08–07–2014 के अनुसार श्री टेकाम की कोई पात्रता नहीं बनती है। फिर भी यदि आवेदक चाहे तो वह मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा–64 के तहत पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्य प्रदेश, भोपाल के न्यायालय में विधि अनुसार वाद दायर कर सकता है, जिसमें पारित आदेश संस्था के लिये बंधनकारी होगा, जिसका न्यायिक उपचार शिकायतकर्ता द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है।

3. आयोग ने पाया कि आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा सहकारिता विभाग से प्राप्त उत्तर को ही आयोग में भेजा गया था तथा अपने स्तर पर उत्तर का परीक्षण नहीं किया गया था। सहकारिता विभाग द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट भी संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं मानी गई। अतः यदि शिकायत के समाधान में प्रगति नहीं होती है तो भविष्य में सहकारिता विभाग एवं संबंधित संस्था से भी अधिकारियों को बैठक हेतु बुलाया जाना आवश्यक होगा। आयोग ने आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल की तरफ से बैठक में सम्मिलित श्री एम.एल. त्यागी, संयुक्त आयुक्त (वि), आयुक्त कार्यालय, भोपाल से भूखण्ड आवंटन के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर तथ्यपरक जांच कराने का अनुरोध किया ताकि आवेदक श्री टेकाम एवं उनके पिता की पात्रता के बारे में वास्तविक स्थिति सामने आ सके और यह पता चल सके कि क्या संबंधित संस्था ने भूखण्ड आवंटन में उनके साथ भेदभाव किया है:

   1. श्री श्यामू टेकाम के पिता श्री रंगराव, जो वर्ष 1977 से दिनांक 24–07–2007 तक (30 वर्ष) संस्था के सदस्य थे, को भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया। क्या संस्था द्वारा दिनांक 24–07–2007 से पूर्व उनसे कनिष्ठ सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किया गया है अथवा नहीं। यदि हां तो उनकी सूची, सदस्यता क्र. और आवंटन की तिथि का विवरण आयोग को उपलब्ध कराया जाये।
   2. संस्था द्वारा श्री श्यामू टेकाम के पिता श्री रंगराव को 30 वर्ष तक भूखण्ड न आवंटित करने के कारण उनके पुत्र श्री श्यामू टेकाम ने पिता की सहमति से सदस्यता अपने नाम हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। यदि नियमानुसार संस्था ने उनके पिता को भूखण्ड आवंटित कर दिया होता तो इस हस्तांतरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संस्था ने हस्तांतरण स्वीकार किया और उनसे सदस्यता शुल्क की राशि भी जमा करायी और रसीद भी दी। यदि पिता के जीवित रहते हस्तांतरण अनुमत्य नहीं था तो यह संस्था का ही दायित्व था कि वह हस्तांतरण से इनकार कर देती और इस प्रकार उनके पिता सदस्य बने रहते। इस प्रकार न तो पुराने सदस्य के रूप में उनके पिता ही भूखण्ड प्राप्त कर सके और न ही बाद में सदस्य बने आवेदक। आवेदक सतत् रूप से सहकारिता विभाग सहित विभिन्न स्तरों पर शिकायत करते रहे हैं तथा समय–समय पर अलग–अलग कारण बताकर शिकायत का निराकरण नहीं किया जा सका। अतः उनके द्वारा विभिन्न कार्यालयों में की गई शिकायत पर सहकारिता विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाये।
   3. संस्था ने कब–कब आवेदक तथा उनके पिता से धनराशि जमा कराने का अनुरोध किया, इसका दस्तावेजी प्रमाण (पता जिस पर पत्र भेजा गया हो) उपलब्ध कराया जाये।
   4. क्या सहकारिता विभाग द्वारा संबंधित संस्था के अभिलेखों की विस्तृत जांच की गई है?, यदि हां तो कब–कब जांच की गई है और तत्संबंधी रिपोर्टों पर कार्रवाई की स्थिति क्या हैं?

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

4. आयोग ने अपेक्षा की कि आयुक्त, भोपाल संभाग के माध्यम से उपरोक्त बिंदुओं पर न केवल विस्तृत जांच करायी जायेगी बल्कि आवेदक की शिकायत के निराकरण हेतु भी प्रयास किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त 4 बिंदुओं पर जानकारी सहित कृत कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को एक माह के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

फाइल नं- ST/20/2016/STGMP/DELAAL/RO-BH

आवासीय भूखंड का आवंटन न करके सहकारी गृह निर्माण संस्था द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी किये जाने संबंधी प्रकरण पर सुश्री अनुसूइया उइके, माननीया उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ली गई बैठक में सम्मिलित पदाधिकारियों की सूची

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसूईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष
2. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
3. सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी

कार्यालय आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल

1. श्री एम.एल. त्यागी, संयुक्त आयुक्त (वि), आयुक्त कार्यालय, भोपाल

आवेदक

1. श्री श्यामू टेकाम

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

फाइल नं. MS/11/2014/STGMP/DELAAL/RO-BH

अनुसूचित जनजाति की तीन पीढ़ियों की भूमि को बिना सूचना दिये चोरी से नापकर कथित रूप से दूसरों को कब्जा दिलवाने के संबंध में की गई षिकायत पर सुश्री अनुसूइया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयेाग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ली गई बैठक का कार्यवाही विवरण।

बैठक की तिथि व समयः दिनांक 12–06–2017 को दोपहर 03:00 बजे

बैठक में उपस्थितः सूची संलग्न

अनुसूचित जनजाति की तीन पीढ़ियों की भूमि को बिना सूचना दिये चोरी से नापकर दूसरों को कब्जा दिलवाने के संबंध में की गई शिकायत पर सुश्री अनुसूइया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयेाग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में बैठक ली गई जिसमें निम्नानुसार चर्चा की गईः

1. बैठक शुरू करते हुये माननीया उपाध्यक्ष ने आवेदक से उनकी शिकायत के संबंध में जानकारी चाही। आवेदक ने बताया कि उनकी भूमि खसरा नं. 137 रकबा 1.287 प. ह. नं. 42 ग्राम केरिया रा.नि.मं. घोड़ाडोंगरी तह. व जिला बैतूल में स्थित है। इस भूमि पर पटवारी द्वारा किसी और को कब्जा दिलवा दिया गया है। यह भूमि उनके पूर्वजों की है। अतः उन्हें इस भूमि पर कब्जा दिलाया जाये।
2. माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने इस विषय पर कलेक्टर, बैतूल से जानकारी चाही। कलेक्टर, बैतूल ने माननीया उपाध्यक्ष को जानकारी दी कि ग्राम केरिया पटवारी हल्का नं.–42 के खसरा नं.–137 रकबा 1.287 हे. शासकीय चरनोई मद में दर्ज है। भूमि का सीमांकन पटवारी दल द्वारा किया गया। शिकायतकर्ता के नाम ग्राम केरिया में खसरा नं.–139 रकबा 0.813 एवं 167 रकबा 1.287 हे. भूमि रिकार्ड में शामिल शरीकत के रूप में दर्ज है।

   अतः शिकायतकर्ता के नाम दर्ज भूमि का गठित पटवारी दल द्वारा किसी प्रकार का कोई सीमांकन नहीं किया गया है एवं शिकायतकर्ता की भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा नहीं दिया गया है। आरआई व पटवारी द्वारा ग्राम केरिया के अन्य कृषक की भूमि ख.नं. 175/14 रकबा 2.023 हे. जो लिप्पू व. गोरू के नाम दर्ज है, की भूमि का विधिवत पड़ोसी कृषकों को सूचना देकर मेंड़ कायम किया गया। कलेक्टर, बैतूल ने आवेदक से पूछा कि क्या उन्होंने अभी तक अपनी भूमि का सीमांकन कराया है? इस पर आवेदक ने कहा कि अभी तक उन्होंने सीमांकन नहीं कराया है। कलेक्टर, बैतूल ने आवेदक से यह भी पूछा कि उन्हें यह ज्ञात है कि उनकी भूमि रकबे के अनुसार भौतिक रूप से कहाँ से कहाँ तक फैली है तो आवेदक ने कहा कि वे अभी तक उस भूमि पर नहीं गये हैं। वे केवल नक्शे के अनुसार ही अपनी भूमि के संबंध में जानकारी रखते हैं।

   माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने आवेदक से कहा कि सबसे पहले वे अपनी भूमि का निरीक्षण करें एवं विधिवत जिलाधिकारियों की मदद से सीमांकन भी करायें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने कलेक्टर, बैतूल को भी इस कार्य में सहायता करने के लिये कहा जिन्होंने आश्वासन दिया कि आवेदक सीमांकन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तहसीलदार को आवेदन दें और उनसे मिलें तो वे तुरंत सीमांकन करवा देंगे ताकि आवेदक की समस्या का समाधान हो सके। आवेदक भी इसके लिए सहमत हुए।

3. यह बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

फाइल नं. MS/11/2014/STGMP/DELAAL/RO-BH

अनुसूचित जनजाति की तीन पीढ़ियों की भूमि को बिना सूचना दिये चोरी से नापकर कथित रूप से दूसरों को कब्जा दिलवाने के संबंध में की गई शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ली गई बैठक में सम्मिलित पदाधिकारियों की सूची

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसूईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष
2. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
3. सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर, बैतूल

1. श्री शशांक मिश्रा कलेक्टर, बैतूल

आवेदक

1. श्री मंगल सिंह धुर्वे
2. श्री देवानंद भलावी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

फाइल नं- Sanstha/14/2015/STGMP/DELAAL/RO-BH

भूमि पर कब्जा एवं पटवारी/आरआई तथा अनावेदक द्वारा गाली–गलौच करने संबंधी प्रकरण पर सुश्री अनुसूइया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ली गई बैठक का कार्यवाही विवरण।

बैठक की तिथि व समयः दिनांक 12–06–2017 को दोपहर 03:30 बजे

बैठक में उपस्थितः सूची संलग्न

भूमि पर कब्जा एवं पटवारी/आरआई तथा अनावेदक द्वारा गाली–गलौच करने के संबंध में श्री मनोहर सिंह व. हिन्नू, जाति गोंड, ग्राम–माथनी, तह.–घोड़ाडोंगरी, जिला–बैतूल द्वारा की गई शिकायत, जिसे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिशद, जिला शाखा बैतूल के अध्यक्ष ने आयोग को भेजा था, पर सुश्री अनुसूइया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में बैठक ली गई। बैठक में निम्नानुसार चर्चा हुईः

1. बैठक में आवेदक श्री मनोहर सिंह व. हिन्नू, उपस्थित नहीं हुए और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिला शाखा बैतूल के अध्यक्ष श्री मंगल सिंह धुर्वे से माननीया उपाध्यक्ष ने आवेदक की शिकायत के संबंध में जानकारी चाही। श्री मंगल सिंह धुर्वे ने बताया कि श्री मनोहर सिंह व. हिन्नू, जाति गोंड, ग्राम–माथनी, तह.–घोड़ाडोंगरी, जिला–बैतूल की भूमि पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है एवं उनके साथ मार–पीट भी की थी।
2. माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने इस विषय पर कलेक्टर, बैतूल से जानकारी चाही। कलेक्टर, बैतूल ने माननीया उपाध्यक्ष महोदया को बताया कि प्रकरण पर कार्रवाई जारी है। आवेदक द्वारा की गई शिकायत में भूमि संबंधी कागजात के अभाव में उचित कार्रवाई करने में विलम्ब हुआ है। माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने श्री मंगल सिंह धुर्वे से भूमि संबंधी अभिलेख तुरंत कलेक्टर कार्यालय में देने एवं आवेदक के पास अपनी षिकायत से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं, उन्हें कलेक्टर को उपलब्ध करवाने हेतु कहा। उन्होंने कलेक्टर, बैतूल को प्रकरण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने पर उचित कार्रवाई करने हेतु कहा। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि उक्त दस्तावेज प्राप्त होते ही उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी और आयोग को भी अवगत कराया जायेगा।
3. धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

फाइल नं- Sanstha/14/2015/STGMP/DELAAL/RO-BH

भूमि पर कब्जा एवं पटवारी/आरआई तथा अनावेदक द्वारा गाली–गलौच करने संबंधी प्रकरण पर सुश्री अनुसूइया उइके, माननीया उपाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ली गई बैठक में सम्मिलित पदाधिकारियों की सूची।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसूईया उइके, माननीया उपाध्यक्ष
2. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक
3. सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी

कार्यालय कलेक्टर, बैतूल

1. श्री शशांक मिश्रा कलेक्टर, बैतूल

आवेदक

1. श्री मंगल सिंह धुर्वे
2. श्री देवानंद भलावी